"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अप्रैल 2012— चैत्र 17, शक 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मेहतरू कुमार साहू आत्मज श्री जगमोहन साहू, निवासी-ग्राम-उमरपोटी (उतई), तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मेरी जन्म तारीख 23-09-1991 है. यह कि मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम "महेश कुमार साहू आ. जगमोहन साहू " रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे महेश कुमार साहू पिता जगमोहन साहू के नाम से जाना-पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
मेहतरू कुमार साहू आ.-श्री जगमोहन साहू निवासी-उमरपोटी (उतई) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) पिन-491107	महेश कुमार साहू आ.-श्री जगमोहन साहू निवासी-उमरपोटी (उतई) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) पिन-491107

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती नीतू सिंह पति स्व. वकील सिंह, आयु 36 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं.-1 सी, सड़क नं. 76, सेक्टर-6, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं तथा मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत हूं एवं मेरा पर्सनल नं.-401238 है. यह कि मैं अपने पुत्र बलराम सिंह जिसकी जन्मतिथि 19-08-2003 है का नाम परिवर्तित कर नया नाम शिखर सिंह पिता स्व. वकील सिंह रख ली तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को शिखर सिंह पिता स्व. वकील सिंह के नाम से जाना-पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
बलराम सिंह आ.- स्व. वकील सिंह निवासी-क्वाटर नं. 1 सी, सडक नं.-76, सेक्टर-6, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	शिखर सिंह आ.- स्व. वकील सिंह निवासी-क्वाटर नं. 1 सी, सडक नं.-76, सेक्टर-6, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती आशा गजभिये ध. प. श्री दीपक गजभिये, आयु 50 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं.-एच-72, न्यू सिविल लाईन, राजनांदगांव, तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि मैं अपने पुत्र सुलभ गजभिये का नाम परिवर्तित कर नया नाम सुमीत गजभिये रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को सुमीत गजभिये के नाम से जाना-पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
सुलभ गजभिये निवासी-क्वाटर नं. एच-72 न्यू सिविल लाईन, राजनांदगांव तह. व जिला-राजनादंगांव (छ. ग.)	सुमीत गजभिये निवासी-क्वाटर नं. एच-72 न्यू सिविल लाईन, राजनांदगांव तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रीति श्रीवास्तव पति श्री गुलजार खान, आयु 26 वर्ष, निवासी-25/12, राधिकानगर सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मैं प्रीति श्रीवास्तव पिता स्व. प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के नाम से जानी, पहचानी जाती थी तथा समस्त शासकीय व अन्य दस्तवेजों में यही नाम अंकित है. मेरा विवाह दिनांक 29-2-2012 को श्री गुलजार खान आ. श्री मेराज खान के साथ विवाह अधिकारी दुर्ग के समक्ष सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम "प्रीति श्रीवास्तव पिता स्व. प्रमोद कुमार श्रीवास्तव" को परिवर्तित कर अपना नया नाम "श्रीमती निदा खान पति श्री गुलजार खान" रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती निदा खान पति श्री गुलजार खान के नाम से जाना-पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
प्रीति श्रीवास्तव पिता-स्व. प्रमोद कुमार श्रीवास्तव निवासी-श्रीवास्तव रेसीडेन्स एकता नगर, भिलाई-3 तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती निदा खान पति-श्री गुलजार खान निवासी-25/12, राधिकानगर सुपेला, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ओकार नाथ तिवारी (ONKAR NATH TIWARI) पिता श्री चंद्रिका प्रसाद तिवारी, उम्र 32 वर्ष, निवासी-86/31, नेहरू नगर (ईस्ट), भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त आवश्यक दस्तावेजों जैसे -पेनकार्ड, बिजली बिल, बैंक पासबुक, गैस कार्ड में मेरा-सोमनाथ तिवारी (SOM NATH TIWARI) पिता श्री चंद्रिका प्रसाद तिवारी दर्ज है, को परिवर्तित कर अपना वास्तविक नाम " ओंकार नाथ तिवारी (ONKAR NATH TIWARI) " अंकित किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे ओंकार नाथ तिवारी पिता चंद्रिका प्रसाद तिवारी के नाम से जाना-पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
सोमनाथ तिवारी (SOM NATH TIWARI) पिता-श्री चंद्रिका प्रसाद तिवारी निवासी-86/31, नेहरू नगर (पूर्व) भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	ओंकार नाथ तिवारी (ONKAR NATH TIWARI) पिता-श्री चंद्रिका प्रसाद तिवारी निवासी-86/31, नेहरू नगर (पूर्व) भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीपाद आत्मज एस. एम. इन्दुरकर, उम्र 42 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 4/डी, सड़क नं.-29, सेक्टर-7, भिलाई थाना-सेक्टर-6 भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. वर्तमान में मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में आपरेटर कम टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम " श्रीपाद पिता एस. एम. इन्दुरकर" अंकित है, चूंकि " इन्दुरकर " मेरा उपनाम (सरनेम) है को अपने नाम के साथ अंगीकार कर मैं अपना नाम "श्रीपाद इन्दुरकर पिता एस. एम. इन्दुरकर " अंकित किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे श्रीपाद इन्दुरकर पिता एस. एम. इन्दुरकर के नाम से जाना-पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीपाद पिता-श्री एस. एम. इन्दुरकर निवासी-क्वा. नं. 4/डी, सड़क नं. 29 सेक्टर-7, थाना-सेक्टर-6, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीपाद इन्दुरकर पिता-श्री एस. एम. इन्दुरकर निवासी-क्वा. नं. 4/डी, सड़क नं. 29 सेक्टर-7, थाना-सेक्टर-6, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुरेश कुमार पेरे पिता श्री एस. एल. पेरे, उम्र 48 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. III-B, टाईप-3B, टाउनशिप, हास्पीटल सेक्टर, दल्ली राजहरा, जिला-बालोद (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे मैट्रिक की अंकसूची (प्रमाण-पत्र) में अंग्रेजी में मेरा नाम SURESH KUMAR PAIRE अंकित हो गया है को सुधार कर मेरा वास्तविक नाम SURESH KUMAR PERE दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे SURESH KUMAR PERE S/o SHRI S. L. PERE के नाम से जाना-पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
SURESH KUMAR PAIRE R/o Qtr. No. III-B, Type-3B, Township Hospital Sector, Dalli Rajhara Distt. - BALOD (C. G.)	SURESH KUMAR PERE R/o Qtr. No. III-B, Type-3B, Township Hospital Sector, Dalli Rajhara Distt. - BALOD (C. G.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2012

प्रकरण क्र. / ब -113 (1)/ वर्ष 2011-12

क्रमांक /531/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2012.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक डॉ. मनोज लांजेवार पिता स्व. जी. एस. लांजेवार निवासी 05, उद्यान मार्ग, चौबे कालोनी, रायपुर ने गोल्डन लोटस सांई टेम्पल ट्रस्ट, ग्राम हथबंध, तहसील व जिला रायपुर द्वारा छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा -4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 09-04-2012 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	गोल्डन लोटस सांई टेम्पल ट्रस्ट, ग्राम हथबंध
2.	चल संपत्ति	:	2480/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	ग्राम हथबंध, प. ह. नं. 103 खसरा नं. 130/23, 133/1, 133/2, 132/3, 130/8 व 130/21 कुल रकबा 0.562 हे.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21-02-2012 को जारी.

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2012

प्रकरण क्र. / ब -113 (1)/ वर्ष 2011-12

क्रमांक /532/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2012.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक डॉ. दीपक शर्मा पिता रामगोपाल शर्मा, निवासी दीपक हाउस, जलगृह मार्ग, टिकरापारा, रायपुर ने श्री महाप्रभु जी मूल प्राकट्य स्थल ट्रस्ट, दीपक हाउस, जलगृह मार्ग, टिकरापारा, रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा -4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 16-04-2012 उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री महाप्रभु जी मूल प्राकट्य स्थल ट्रस्ट, दीपक हाउस, जलगृह मार्ग, टिकरापारा, रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	5001/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 09-03-2012 को जारी.

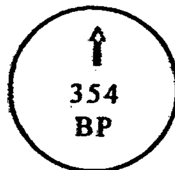
एस. के. अग्रवाल,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 20 मार्च 2012

क्रमांक /मा. चि. /455.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आकृति का पासिंग हेमर परिक्षेत्राधिकारी, लोरमी उत्पादन को वनमंडल कार्यालय के चालान क्रमांक/3021 दिनांक 25-05-2010 से कक्ष क्रमांक 420 औरापानी सागौन रोपण के बिरलन कार्य हेतु पासिंग हेमर प्रदाय किया गया था. परिक्षेत्राधिकारी, लोरमी उत्पादन ने अपने पत्र क्रमांक 116 दिनांक 19-08-2011 से सूचित किया है कि कूप प्रभारी श्री शंकरलाल खैरवार, उपवनक्षेत्रपाल से पासिंग हेमर जंगल से लौटते समय दिनांक 16-08-2011 को गुम गया है, जिसकी प्राथमिक रिपोर्ट दिनांक 19-08-2011 को पुलिस थाना लोरमी में दर्ज करायी गयी है.



अतः वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त गुमशुदा पासिंग हेमर को स्टॉक पंजी से अपलेखित किया जाता है.

हेमर की कीमत राशि रुपये 50.00 (पचास रुपये मात्र) श्री शंकरलाल खैरवार, उपवनक्षेत्रपाल से वसूल करने का आदेश दिया जाता है, उपरोक्त हेमर किसी व्यक्ति को मिले, तो निकटम पुलिस थाना या वन कार्यालय में जमा करावें.

इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उक्त हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने या उपयोग में लाते पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

हेमंत पाण्डेय,
वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2012

क्रमांक/परिसामन/2012/400.— महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, तिफरा बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 53 दिनांक 09-01-1985 का परिसमापक द्वारा समिति को पुनर्जीवित करने हेतु आमसभा में प्रस्ताव पारित कर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रस्तावित अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना में समिति कालोनी में पानी निकासी के लिए नाली व्यवस्था कराना, कालोनी के विकास एवं सदस्यों को भू-खण्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु नई भूमि क्रय करना एवं भूमि क्रय कर समिति के वित्तीय स्थिति में सुधार करना कार्य योजना तैयार किया गया है.

सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए संस्था को पुनर्जीवित किया जा कर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत् कार्य करेगी तत्संबंध में संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं, निर्मल तिर्की, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. शासन की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह (सी) दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत् महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, तिफरा बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 53 दिनांक 09-01-1985 जिला-बिलासपुर को इस शर्त पर पुनर्जीवित किया जाता है कि 01 वर्ष के अन्दर अपने दिये गये कार्य योजना के अनुसार कार्य प्रारंभ नहीं करती है तो पुन: समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही की जावेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28-02-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

तीन माह के लिये निम्नांकित सदस्यों को संचालक मण्डल के सदस्य कार्य संचालन हेतु अधिकृत करता हूं.

1.	श्री राज करण सिंह तोमर	अध्यक्ष
2.	श्री आर. के. सिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती प्रेमा सिंह	सदस्य
4.	श्री गजेन्द्र सिंह	---"---
5.	श्री प्रतापभान सिंह परिहार	---"---
6.	श्रीमती राजरेखा सिंह	---"---
7.	श्री जगतपाल सिंह	---"---
8.	श्री तेज बहादुर सिंह	---"---
9.	श्री बिन्देश्वरी सिंह	---"---
10.	श्री त्रिभुवननाथ सिंह	---"---
11.	श्रीमती गायत्री	---"---

निर्मल तिर्की,
संयुक्त पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.